493/24

27/5/2024

प्रारूप-1

(नियम 3 देखिए)

रजिस्ट्रीकरण के लिये सोसायटी का ज्ञापन

आवेदन क्रमांक : S1060509215012042024 | अनुमोदन दिनांक : 01 May 2024

1.	सोसायटी का नाम श्री मारुति नंदन सोशल वेलफेयर सोसायटी होगा।
2.	सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक 23, साई मंदिर के पास ए बी रोड कर्माखेड़ी रुठियाई 473001 तहसील Raghogarh जिला Guna मध्य प्रदेश में स्थित होगा। सोसायटी का संपर्क नंबर (अध्यक्ष/सचिव) 9644007738 ईमेल आईडी nileshannudevnath@gmail.com
3.	सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-

1 शारीरिक, परंपरागत योग बालक-बालिकाओं एवं समाज के प्रत्येक वर्ग को नैतिक एवं शारीरिक शिक्षा का प्रशिक्षण देना।

2 बेरोजगार नवयुवकों एवं युवतियों हेतु व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध करना तथा राष्ट्र निर्माण हेतु गतिविधियों का संचालन और रोजगारोन्मुखी शिक्षा तथा स्वरोजगार के लिये विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों की सुविधा मुहैया कराना।

3 सामाजिक कल्याण के सम्प्रवर्तन के लिये|

4 ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगार युवकों (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों) को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण, योजनाओं का संचालन करना।

5 महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं प्रशिक्षण हेतु कढ़ाई, बुनाई, मेहंदीकला, हस्तशिल्प, बूटिक, संगीतकला, झूलाघर, प्रौढ़ शिक्षा, आंगनवाडी केन्द्रों की स्थापना करना व प्रबंध संचालन करना।

6 महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, असहाय, ग्रामीणों, झुग्गी बस्ती, झुग्गी झोपडी, विकलांगों, पिछड़े इलाकों, पहाड़ी क्षेत्रों, दूरवर्ती क्षेत्रों, सीमावर्ती औद्योगिक क्षेत्रों के लोगों के लिये विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में सहयोग कर उनका सर्वांगीण विकास करना।

7 समाज के समग्र विकास के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, जन संरक्षण, सिंचाई, भूमि सुधार प्रकृति संपदा संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, खाद संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण के तहत जागरूकता लाना।

8 महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना।

9 महिला बाल विकास के माध्यम से रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिलाना।

10 कौशल विकास केन्द्रों एवं ट्रेनिंग सेन्टर्स की स्थापना व संचालन करना।

11 गौरक्षा, गौ पालन को बढ़ावा देना तथा पशुपक्षियों के संरक्षण हेतु समाज में जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना।

12 राष्ट्रीय, धार्मिक, सामाजिक त्योहारों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना।

4.	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 6 की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित सोसायटी के विनियम की सम्यक् रूप से प्रमाणित एक प्रति संगम ज्ञापन के साथ फाईल की गई है। हम, विभिन्न व्यक्ति, जिनके नाम, पते, व्यवसाय एवं अन्य विवरण नीचे उल्लिखित हैं, पूर्वोक्त संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक सोसायटी बनाने के इच्छुक हैं और साक्षी की उपस्थिति में हमने ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। सोसायटी के कामकाज का प्रबंध सोसायटी के विनियमों द्वारा गवर्नर, संचालक परिषद, समिति या शासी निकाय को सोसायटी के सदस्यों के बीच न्यस्त किया गया है जो नीचे विनिर्दिष्ट है-

अनुक्रमांक (1)	पिता/पति के नाम के साथ हस्ताक्षर करने वालों के नाम (2)	पूरा पता (3)	जन्मतिथि/आयु (4)	मोबाइल नंबर (5)	उपजीविका (6)	सदस्य वाली निकाय में पद धारित करने की दशा में पदनाम (7)	हस्ताक्षर (8)
1	नीतेश कुमार / सुभाष देवनाथ	23, वार्ड नं. 23 काली मंदिर के पास [illegible], Guna, Guna, Madhya Pradesh	13/05/1984	9644007738	प्राइवेट जॉब	अध्यक्ष	Signature valid Signed by: A[illegible]yaksh on 02-05-202[illegible] [illegible]3:05:07
2	नुपुर देवनाथ / नीतेश कुमार	05, वार्ड नं. 23 काली मंदिर के पास [illegible], Guna, Guna, Madhya Pradesh	06/09/1991	9993269181	गृहणी	उपाध्यक्ष	Signature valid Signed by: U[illegible]Adhyaksh on 02-05-2[illegible]4 13:06:37
3	मनोज राय / नबो राय	म.नं. 463, बंगाली कॉलोनी पंचशील नगर, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh	01/01/1989	9644435284	प्राइवेट जॉब	सचिव	Signature valid Signed by: S[illegible]chiv on 02-05-2024 1[illegible]:06
[illegible]	[illegible] राय / [illegible]	म.नं एच नं. 462, वार्ड नं. 49 पंचशील नगर बंगाली कॉलोनी, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh	23/07/1994	7247349214	प्राइवेट जॉब	कोषाध्यक्ष	Signature valid Signed by: kos[illegible] Adhyaksha on 02-05-20[illegible] 13:10:37
5	माधुरी राय / मनोज राय	म.नं 41/2, पंपापुर एमआईजी के सामने हर्षवर्धन नगर, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh	29/02/1992	7773850830	गृहणी	संयुक्त सचिव	Signature valid Signed by: sa[illegible]yukt sachiv on 02-05-2[illegible]4 13:12:21
6	बिमल / कालीपद	म.नं. 463, पाल आटा चक्की के पास पंचशील नगर बंगाली कॉलोनी, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh	01/01/1987	9617335052	प्राइवेट जॉब	सदस्य	Signature valid Signed by: sa[illegible]asya on 02-05-202[illegible] [illegible]5:57:36
7	सरिता राय / बिमल राय	म.नं. 462, बंगाली कॉलोनी पंचशील नगर, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh	29/11/1991	7566242814	गृहणी	सदस्य	Signature valid Signed by: sa[illegible]asya on 02-05-202[illegible] [illegible]6:21:05

सोसायटी से संबंधित दस्तावेज संलग्न करें

खाता क्रमांक SBIN00061591475120420242296107

नियमावली

पदाधिकारी के पहचान पत्र की जानकारी

पहचान पत्र के लिये Bank account statement/ bank pass book — पहचान पत्र का क्रमांक 31852328758

पदाधिकारी के पता की जानकारी

पता के लिये Bank account statement/bank pass book — पते का क्रमांक 31852328758

Uploaded ID Proof

Uploaded Address Proof

Signature valid

Signed by Witness on 02-05-2024 16:38:07

साक्षी:- /> हस्ताक्षर :-.................................

साक्षी का नाम :- विक्रम सिंह धाकड़

साक्षी का पिता/पति:- निरपत सिंह धाकड़

पूर्ण पता :- 01, बेरखेड़ी रुठियाई राघोगढ़ गुना

साक्षी का मोबाइल नंबर :- 6265658845

साक्षी का ईमेल आईडी :- vikramdhakad6492@gmail.com

☑ हम सत्यापित करते हैं।

सोसायटी के पंजीयन के संबंध में मार्गदर्शी बिन्दु

1 ज्ञापन पत्र में निर्धारित स्थान पर समस्त निर्माणकर्ताओं एवं साक्षी के हस्ताक्षर/E-Sign यथा स्थान होना चाहिये।

[illegible] रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थायें
ग्वालियर-चंबल संभाग
ग्वालियर (म.प्र.)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

CB 956076

समिति नियमावली 7 कुल के 1114

संलग्न है

22.5.24

असि. रजिस्ट्रार

फर्म्स एवं संस्थाएं

प्ररूप-1क
(नियम 3 देखिए)
(सोसायटी की उप-विधियां)

453/24
27/5/24

आवेदन क्रमांक : S1060509215012042024

अनुमोदन दिनाँक : 01 May 2024

1. सोसायटी का नाम श्री मारुति नंदन सोशल वेलफेयर सोसायटी होगा।

2. सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक 23, साईं मंदिर के पास ए बी रोड कर्माखेड़ी रुठियाई 473001 तहसील राघोगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश में स्थित होगा।
मोबाईल क्रमांक(अध्यक्ष/सचिव) 9644007738 एवं ईमेल आईडी nileshannudevnath@gmail.com

3. संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा।

4. सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-

1 शारीरिक, परंपरागत योग बालक-बालिकाओं एवं समाज के प्रत्येक वर्ग को नैतिक एवं शारीरिक शिक्षा का प्रशिक्षण देना।

2 बेरोजगार नवयुवकों एवं युवतियों हेतु व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध करना तथा राष्ट्र निर्माण हेतु गतिविधियों का संचालन और रोजगारोन्मुखी शिक्षा तथा स्वरोजगार के लिये विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों की सुविधा मुहैया कराना।

3 सामाजिक कल्याण के सम्प्रवर्तन के लिये|

4 ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगार युवकों (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों) को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण, योजनाओं का संचालन करना।

5 महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं प्रशिक्षण हेतु कढ़ाई, बुनाई, मेहंदीकला, हस्तशिल्प, बूटिक, संगीतकला, झूलाघर, प्रौढ़ शिक्षा, आंगनवाडी केन्द्रों की स्थापना करना व प्रबंध संचालन करना।

6 महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, असहाय, ग्रामीणों, झुग्गी बस्ती, झुग्गी झोपड़ी, विकलांगों, पिछड़े इलाकों, पहाड़ी क्षेत्रों, दूरवर्ती क्षेत्रों, सीमावर्ती औद्योगिक क्षेत्रों के लोगों के लिये विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में सहयोग कर उनका सर्वांगीण विकास करना।

7 समाज के समग्र विकास के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, जल संरक्षण, सिंचाई, भूमि सुधार प्रकृति संपदा संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, खाद संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण के तहत जागरूकता लाना।

8 महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।

9 महिला बाल विकास के माध्यम से रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिलाना।

10 कौशल विकास केन्द्रों एवं ट्रेनिंग सेन्टर्स की स्थापना व संचालन करना।

11 गौ रक्षा, गौ पालन को बढ़ावा देना तथा पशुपक्षियों के संरक्षण हेतु समाज में जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना।

12 राष्ट्रीय, धार्मिक, सामाजिक त्योहारों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना।

5. सोसायटी के सदस्य निम्नलिखित प्रवर्गों के होंगे:-

(क) संरक्षक सदस्य: वह व्यक्ति जो रुपए 1,000/- या अधिक एकमुश्त दान करता है या एक साल के भीतर 12 किश्तों में भुगतान करता है, सोसायटी का संरक्षक सदस्य होगा।

(ख) आजीवन सदस्य वह व्यक्ति जो रूपए 500/- या अधिक का भुगतान करता है, सोसायटी का आजीवन सदस्य होगा।

(ग) साधारण सदस्य: वह व्यक्ति जो रूपए 10/- प्रतिमाह या रूपए 120/- प्रतिवर्ष भुगतान करेगा, साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी कालावधि के लिए सदस्य होगा, जिसके कि लिए वह अंशदान का भुगतान करता है।

(घ) मानद सदस्य- सोसायटी की प्रबंधकारिणी समिति, किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को मानद सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य वार्षिक साधारण सम्मिलन में भाग ले सकते हैं, किन्तु वे मतदान के लिए हकदार नहीं होंगे।

6. सदस्यता की करना-प्रत्येक व्यक्ति, जो सदस्य बनने का ईच्छुक हो, उसे प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष लिखित में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रबंधकारिणी समिति, सदस्यता के लिए ऐसे आवेदन को स्वीकार करने या निरस्त करने के लिए प्राधिकृत होगी।

7. सदस्यता के लिए अर्हता- सोसायटी की सदस्यता के लिए निम्नलिखित अर्हताएं अनिवार्य है:-
1. आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
2. उसे भारत का नागरिक होना चाहिए।
3. उसे सोसायटी के नियमों में विश्वास हो तथा वह उनका अनुसार करता हो ।
4.सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

8. सदस्यता की समाप्ति- सोसायटी की सदस्यता निम्नलिखित में से किसी स्थिति में समाप्त हो जाएगी:-
1. मृत्यु हो जाने पर|
2. पागल हो जाने पर|
3. नियम 5 के अनुसार सोसायटी की सदस्यता का अंशदान जमा करने में असफल रहने पर |
4. त्याग पत्र देने पर, यदि स्वीकृत हो जाता है तो |
5.कोई सिद्ध नैतिक अधमता और प्रबंधकारिणी समिति के प्रस्ताव द्वारा निष्कासन से संबंधित निर्णय। ऐसा निर्णय संबंधित सदस्य को लिखित में संसूचित किया जाना चाहिए।

9. सदस्यों की सदस्यता पंजी संधारित की जाएगी:-
1. प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, उपजीविका तथा तारीख सहित हस्ताक्षर
2.रसीद क्रमांक के साथ सदस्यों के प्रवेश की तारीख |
3.सदस्यता की समाप्ति की तारीख।

S1060509215012042024

साधारण सम्मिलन- ऐसे सदस्य, जो कि नियम 5 के अधीन दर्शाए गए हैं, साधारण सम्मिलन में भाग लेने के हकदार होंगे। सम्मिलन, जब कभी भी आवश्यक हो, तब आयोजित किया जाएगा। एक वर्ष में कम से कम एक साधारण सम्मिलन आयोजित किया जाना अनिवार्य है। साधारण सम्मिलन का समय, स्थान और तारीख, प्रबंधकारिणी समिति द्वारा विनिश्चित की जाएगी और सभी सदस्यों को साधारण सम्मिलन की तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व लिखित में सूचित की जाएगी। सम्मिलन की गणपूर्ति 3/5 सदस्यों से होगी। सोसायटी का पहला साधारण सम्मिलन रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 3 मास के भीतर आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन किया जाएगा।

(ख)प्रबंधकारिणी समिति- प्रबंधकारिणी समिति का सम्मिलन प्रत्येक माह आयोजित किया जाएगा और उसके लिए पूर्वसूचना प्रबंधकारिणी के प्रत्येक सदस्य को, सम्मिलन कम से कम सात दिन पूर्व, से सूचित की जानी चाहिए। सम्मिलन की गणपूर्ति कुल सदस्यों के आधे से होगी।

11. **साधारण निकाय की शक्ति तथा उत्तरदायित्व-**
एक. पूर्व वर्ष की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट को मंजूरी देना।
दो. सोसायटी की स्थाई निधियों तथा आस्तियों की उचित व्यवस्था करना।
तीन. आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संपरीक्षक नियुक्त करना।
चार. ऐसे किसी अन्य विषय पर विचार करना, जो कि प्रबंधकारिणी समिति द्वारा लाया जाए।
पांच. सोसायटी के अधीन चल रहे संगठन के आय तथा व्यय लेखा की विवरणी को मंजूर करना।
छः. वार्षिक बजट अनुमोदित करना।

12. **प्रबंधकारिणी समिति का गठन-** ऐसे सदस्य, जो कि नियम 5 में विनिर्दिष्ट सदस्यता रजिस्टर में नामांकित किए गए हैं, बहुमत से, प्रबंधकारिणी समिति के निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा सदस्यों का निर्वाचन करेंगे :-
(1)अध्यक्ष 1,(2)उपाध्यक्ष 1,(3)सचिव 1,(4)कोषाध्यक्ष 1,(5)संयुक्त सचिव 1,(6)सदस्य 2

13. **प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल:** प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। प्रबंधकारिणी समिति, नई प्रबंधकारिणी समिति के गठन तक कार्य करेगी, किन्तु यह कालावधि छह मास से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकेगी और कालावधि का ऐसा विस्तार साधारण निकाय द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

14. **प्रबंधकारिणी समिति के अधिकार एवं उत्तरदायित्व-**
(क) उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यवस्था करना, जिसके लिए सोसायटी का गठन किया गया है।
(ख) प्रत्येक वर्ष साधारण निकाय के समक्ष वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की विवरणी के साथ पिछले वर्ष के भली भांति परीक्षण किए गए, आय तथा व्यय, लेखा की सम्यक् रूप से संपरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करना।
(ग) सोसायटी के अधीन कार्य कर रही संस्थाओं में कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना और सोसायटी की आस्तियों तथा स्थावर सम्पत्ति पर प्रभारित करों का भुगतान करना।
(घ) आवश्यक कर्मचारिवृंद/ शिक्षकों की नियुक्ति करना।
(ड.) ऐसे आवश्यक कृत्यों का निष्पादन करना, जैसे कि समय समय साधारण सम्मिलन द्वारा समनुदेशित किए जाएं।
(च) कोई स्थावर सम्पत्ति सोसायटी के रजिस्ट्रार की लिखित अनुमति के बिना अंतरित या अन्यथा अर्जित या विक्रीत नहीं की जाएगी।
(छ) सोसायटी की उप-विधियों में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने, चर्चा करने और स्वीकृति के लिए विशेष सम्मिलन बुलाया जाएगा, संशोधन का संकल्प पारित करने के लिए इसे साधारण सम्मिलन के समक्ष रखा जाएगा। संशोधनों के लिए संकल्प पारित करने के लिए साधारण सम्मिलन का 2/3 बहुमत होना चाहिए और इसे विहित प्ररूप में अनुमोदन के लिए रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा।

15. **अध्यक्ष के अधिकार-** अध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति के समस्त सम्मिलन तथा साधारण सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव के माध्यम से साधारण सम्मिलन के साथ-साथ प्रबंधकारिणी समिति की व्यवस्था करेगा। अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

16. **उपाध्यक्ष के अधिकार-** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति के समस्त साधारण सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा तथा अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग भी करेगा।

17. **सचिव के अधिकार-**
(क) जब कभी भी आवश्यक हो, साधारण सम्मिलन तथा प्रबंधकारिणी समिति के सम्मिलन बुलाना और समस्त आवेदन प्रस्तुत करना।>
(ख) आय तथा व्यय लेखाओं की विवरणी तैयार करना और संपरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से संपरीक्षित किए जाने के पश्चात् साधारण सम्मिलन के समक्ष प्रस्तुत करना।
(ग) सोसायटी के समस्त कागज-पत्र तैयार करने के लिए व्यवस्था करना और उनका निरीक्षण करना, यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो रिपोर्ट, सूचना के लिए प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष रखी जानी चाहिए।
(घ) सचिव, एक समय में रू. 5000/- तक की राशि मंजूर करने हेतु अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्राधिकृत होगा।

18. **संयुक्त सचिव के अधिकार-** सचिव की अनुपस्थिति में, संयुक्त सचिव, सचिव की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

19. **कोषाध्यक्ष के अधिकार-** सोसायटी के लेखाओं का संधारण करना और प्रबंधकारिणी समिति के सचिव द्वारा सम्यक् रूप से मंजूर किए गए व्यय करना।

20. **बैंक खाता-** सोसायटी की निधियां अधिसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में जमा की जाएंगी। निधियों का आहरण अध्यक्ष/ सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा किया जाएगा। दैनिक खर्चे के लिए कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रू. 5000/- रहेंगे।

21. **रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी-** मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन विहित प्ररूप में प्रबंधकारिणी समिति की सूची, सोसायटी के वार्षिक साधारण सम्मिलन की तारीख से 45 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन संपरीक्षित लेखे, प्रतिवर्ष विहित समय में प्रस्तुत किए जाएंगे।

22. **विघटन-** सोसायटी द्वारा, उपस्थित सदस्यों के 3/5 बहुमत द्वारा विघटन का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उपरोक्त प्रकिया, यदि अधिनियम के उपबंधों के अनुक्रम हो तो निष्पादित की जाएगी।

23. **सम्पत्ति-** समस्त जंगम या स्थावर सम्पत्ति सोसायटी के नाम से होगी। सोसायटी की स्थावर सम्पत्ति (स्थिर आस्तियां), सोसायटी के रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय, दान या अन्यथा द्वारा व्ययनित या अर्जित नहीं की जा सकेगी।

हम निम्नानुसार पदाधिकारी/ सदस्य आदर्श उप-विधियां प्ररूप-एक क को सोसायटी की उप-विधियों के रूप में स्वीकार करते हैं।

हस्ताक्षर Signature valid Signed by: Adhyaksh/Member on 02-05-2024 12:57:13 अध्यक्ष / सदस्य	हस्ताक्षर Signature valid Signed by: Sachiv/Member on 02-05-2024 13:00:09 सचिव / सदस्य	हस्ताक्षर Signature valid Signed by: kosha Adhyaksha/Member on 02-05-2024 13:03:22 कोषाध्यक्ष / सदस्य

असि. रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाऐं
ग्वालियर-चंबल संभाग
ग्वालियर (म.प्र.)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

CB 956075

समिति ज्ञापन पत्र की नकल के साथ संलग्न है

22.5.24

असि. रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थायें
ग्वालियर-चंबल संभाग
ग्वालियर (म.प्र.)